न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी — श्री विष्णु कुमार गोयल—। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/99/2020

1. रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री दुर्गालाल, आयु 70 वर्ष जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. अशोक सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, आयु 30 वर्ष जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. कानजी पुत्र श्री दुर्गालाल आयु 75 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. धर्मेन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल, आयु 28 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. मुकेश सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, आयु 32 वर्ष, जाति राव राजपूत, निवासी — ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, आयु 34 वर्ष जाति राव राजपूत निवासी ग्राम बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक बगरू कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय बगरू, जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय

दिनांक : 06.04.2023

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में दिनांक 07.09.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से मुताबिक निर्णय व डिक्री कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 8129 दिनांक 20.09.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की जो निम्नानुसार है :—

नाम खातेदार मय हिस्सा	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
अशोक सिंह पुत्र शंकरलाल हि0	359	0.11	बारानी 1	0.83

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

1/12 कानजी पुत्र दुर्गालाल हि0 1/3 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शंकरलाल हि0 1/12 मुकेश सिंह पुत्र शंकरलाल हि0 1/12 रामचन्द्र पुत्र दुर्गालाल हि0 1/3 सुरेन्द्र सिंह पुत्र शंकर लाल हि0 1/12 जाति राव राजपुत सा0देह	360 688 710	0.12 0.05 0.12	चाही 1 जाव 1 चाही ए चाही ए	2.56 0.64 2.15 5.16
	किता 4	0.40		11.34

विभाजन प्रस्ताव के अनुसार

क्र.सं.	नाम खातेदार मय हिस्सा	ख.नं.	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
1	वादीगण :– रामचन्द्र पुत्र दुर्गालाल जाति राव राजपूत सा0देह	359 मि0 360 मि0 710 मि0	0.0366 0.0400 0.0566	बा. 1 जाव 1 चाही 1	
		किता 3	0.1332		
2	कानजी पुत्र दुर्गालाल हि0 1/2 अशोक सिंह पुत्र शंकरलाल हि0 1/8 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शंकरलाल हि0 1/8 मुकेश सिंह पुत्र शंकरलाल हि0 1/8 सुरेन्द्रसिंह पुत्र शंकरलाल हि0 1/8 समस्त जाति राव राजपूत सा0देह	359 मि0 360 मि0 710 मि0 688	0.0734 0.0800 0.0634 0.0500	बा. 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1	
		किता 4	0.2688		

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति नियत की गई। वादी की ओर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद में खसरा नंबर 359, 360, 688, 710 बाबत् पेश किया था किन्तु बिना प्रार्थी की तामील करवायें/सूचना दिये गलत कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की है, उक्त भूमि खसरा नंबर 359, 360 के नजदीक खसरा नंबर 360 स्थित है, जिसमें वादी का भी हिस्सा है, प्रतिवादी ने जबरन दीवार का निर्माण कर अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है, वादी को खसरा नंबर 358 के लगवा भूमि दि जानी थी,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

किन्तु तहसीलदार महोदय ने मौके के विपरित कुर्रेजात तैयार की है। अतः न्यायहित में वादी की उपस्थिति में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जाने के आदेश प्रदान करवावें।

वकील प्रतिवादी ने आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष की आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी एवम् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल—दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

रामचन्द्र सिंह **बनाम** अशोक सिंह वगै.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/99/2020

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी एवम् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.04.2023 को जारी की गई।

मुहर (मुहर: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner